न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2015/00142 (63/2015) 223 आरटीएक्ट

1. हजारा सिंह पुत्र बलवन्त सिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. भजन कौर धर्मपत्नी स्व श्री मोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस. आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. हरमीत } पुत्रगण स्व0 श्री मोहनसिंह, जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1
4. फूलाराम } एस.आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
5. सरजीत कौर (पुत्री स्व श्री मोहन सिंह) धर्मपत्नी श्री राणा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी कमरानी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
6. सुखविन्द्र कौर (पुत्री स्व श्री मोहन सिंह) धर्मपत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मोहल्ला सुन्दर नगर, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद।
7. गौरव सिंह पुत्र स्व श्री अवतार सिंह (नाबालिग उम्र 13 वर्ष) जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. जरिये कुदरती वली दादी भजन कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 5 से 9

बनाम

1. परमजीत सिंह पुत्र श्री चरण सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्र सिंह पुत्र केसर सिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट/वादीगण

3. प्रकाश कौर (पुत्री स्व श्री केसर सिंह) धर्मपत्नी गुरदीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तलवाड़ा झील वार्ड नं. 1 तहीसल टिब्बी, जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. गुरमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस. आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
5. हरी सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक नं. 1 एस.आर. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, ,10

6. स्वर्णजीत कौर धर्मपत्नी श्री बलविन्द्र सिंह
7. स्तनाम सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह
8. जोगेन्द्र सिह
9. महेन्द्र सिह
10. सविन्द्र सिंह

पुत्रगण सुरजन सिह

जाति जटसिख निवासीगण थेहड़खोड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

11- तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2013 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी, टिब्बी प्र. सं. 545/2013 बअनवानी परमजीत सिंह आदि बनाम हजारा सिंह आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री छगलन लाल सिडाना अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6

निर्णय दिनांकः— 09.01.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने धारा 88 आरटीएक्ट में एक वाद प्रसतुत किया। वादपत्र में कथन किया कि वाद में वर्णित प्रतववादी सं. 1 के नाम से चक नं. 1 एस.आर. डबलयू जमाबंदी सम्वत 2068—71 खाता संख्या 38/29 में कुल 0.253 है. एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति व 2 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहनसिह के नाम चक 1 एसआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2068—71 खाता संख्या 180/181 में 0.164 हे0 व खाता संख्या 134/127 में कुल 0.823 है0 व प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 10 के नाम इसी चक के खाता संख्या 178/172 में कुल 3.959 है0. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक नं. 1 एसआरडब्लू जमाबंदी संवत 2068–71 खाात संख्या 38/29 में 0.253 है0 में से 0.064 है0 अर्थात प0 नं0 226/277 (63) किला नं. 6 तादादी 0.064 है0 पर वादी संख्या 1 का अर्सा कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं0 3 के पति व 4 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहन सिंह के नाम चक नम्बर 1 एसआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाात संख्या 180/181 में 0.164 है0 एवं खाता संख्या 134/127 में प0 नं0 224/275 (54) कि0 नं0 12/2 तादादी 0.051 है0 कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 178/172 प0 नं0 224/275 (54) किला नं. 13/1 तादादी 0.038 है0 कृषि भूमि पर वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त अर्सा कदीम से चला आ रहा है । इसी अनुसार वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि का रकमराज व आबयाना जमा करवाते चले आ रहे हैं एवं उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण का प्रतिकुल धारण परिपक्व हो चुका है क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जा काश्त क़ो अर्सा कदीम से मौन स्वीकृति प्रदान कर रखी है इसलिए वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

3. वादपत्र में यह भी कथन किया कि वापत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सव 1 व प्रतिवादी संख्या 3 के पति व 4 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहनसिंह के नाम व प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज रहने से हम वादीगण के विधिक अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है व वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर बैंक ऋण लेने पानी की पची बनवानी नहरी लगान अदा करने में कठिनाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार बहक वादीगण को खतोदार काश्तकार की घोषणा करने एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा कम करने एवं यदि बैंक ऋण हो तो यथावत रखने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ले प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय रूप से कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट को कोई अदालत सम्मन अथवा रजिस्टर्ड डाक से सम्मन प्रेषित नहीं किये तथा ना ही इस प्रक्रिया अनुसार सम्मन जारी होने का फर्दअहकाम पर उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायलाय ने आदेश 5 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत सीधे ही दैनिक समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशित कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। यही नहीं अपितु अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 06.08.2013 को अखबार में सम्मन प्रकाशित करने का आदेश पारित कर मात्र 7 दिवस की पेशी दिनांक 02.09.2013 नियत की है व उसी दिन सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही काआदेश पारित कर निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेण्ट/वादीगण ने अपीलाण्ट संख्या 5 व 6 का पता भी सही दर्ज नहीं किया तथा ना ही कथित अखबार अपीलाण्ट संख्या 5 व 6 के निवास स्थान पर प्रसारित होता है। एकपक्षीय कार्यववाही गलत व विधि विरूद्ध थी।

6. अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में कथित रूप से प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कथित रूप से प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना वर्जित है। अपीलाण्ट की वर्णित भूमि पर अपना कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

7. प्रश्नगत भूमि में से चक 1 एसआरडब्ल्यू के खाता संख्या 134/127 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 75/2013 बअनवानी हरमीत सिह आदि बनाम गुरमेल सिह आदि मं दिनांक 25.02.2013 को मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभाावशील था तथा पटवारी हल्का को इस स्थगन आदेश की सूचना दी जा चुकी थी। पटवारी हल्का ने 1 एसआरडब्ल्यू के खाता संख्या 1354/127 की जमाबन्दी पर पैंसिल से स्टे का अंकन भी किया हुआ था। रेस्पोडेण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस खाता की जमाबंदी में पटवारी हल्का से मिलन इस अंकन को हटाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर प्रस्तुत की तथा इस प्रकार षड़यन्त्र रचकर अधीनस्थ न्यायालय क समक्ष इस तथ्य को छिपाया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. वादीगण ने अपीलाधीन डिक्री के आधार पर इन्तकाल संख्या 644 दिनांक 20.09.2013 को दर्ज करवाया है तथा इस इन्तकाल में स्व श्री मोहनसिंह की खातेदारी भूमि में से चक 1 एसआरडब्ल्यू. प. नं. 224/275 (54) किला नं. 12/2 की 0.051 हैक्टर भूमि रेस्पोडेण्ट –2 ने अपने नाम दर्ज करवाकर इस भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 4/2014 बअनवानी इन्द्रसिंह बनाम स्वर्णजीत कौर आदि अन्तर्गत धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उक्त प. नं. 224/275 (54) किला नं. 12/2 की 0.051 हैक्टेयर का विनिमय रेस्पोडेण्ट 6 से 10 की कृषि भूमि चक 1 एसआरडब्ल्यू पत्थर नं. 224/275 (54) किला नं. 13/2 की 0.051 है. के साथ विनिमय करने का आदेश अपने पक्ष में करवाया है तथा राजस्व अभिलेख में इन्तकाल संख्या 702 दिनांक 00.08.2014 के जरिये अपीलाण्ट की उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 10 के नाम दर्ज करवाई है। उक्त पश्चात्वर्ती निर्णय के विरूद्ध भी अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रख रहे है तथा इस अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 10 को पक्षकार बनाया जा रहा है।

9. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी जमाबन्दीयों की दिनांक 28.05.2015 को नकल प्राप्त करने व इन जमाबन्दियों में इन्तकाल 644 की प्रविष्टि दर्ज होने पर हुआ तब अपीलाण्ट ने पड़ताल कर दिनांक 18.06.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल की और अपील प्रस्तुत की है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक नं. 1 एसआरडब्लू जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 38/29 में 0.253 है0 में से 0.064 है0 अर्थात प0 नं0 226/277 (63) किला नं. 6 तादादी 0.064 है0 पर वादी संख्या 1 का अर्सा कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं0 3 के पति व 4 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहन सिंह के नाम चक नम्बर 1 एसआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 180/181 में 0.164 है0 एवं खाता संख्या 134/127 में प0 नं0 224/275 (54) कि0 नं0 12/2 तादादी 0.051 है0 कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 178/172 प0 नं0 224/275 (54) किला नं. 13/1 तादादी 0.038 है0 कृषि भूमि पर वादी संख्या 2 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कब्जा काश्त अर्सा कदीम से चला आ रहा है । इसी अनुसार वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि का रकमराज व आबयाना जमा करवाते चले आ रहे हैं एवं उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण का प्रतिकुल धारण परिपक्व हो चुका है क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जा काश्त को अर्सा कदीम से मौन स्वीकृति प्रदान कर रखी है इसलिए वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादपत्र में यह भी कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी संख्या 3 के पति व 4 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहनसिंह के नाम व प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज रहने से हम वादीगण के विधिक अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है व वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर बैंक ऋण लेने पानी की पची बनवानी नहरी लगान अदा करने में कठिनाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार बहक वादीगण को खतोदार काश्तकार की घोषणा करने एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा कर करने एवं यदि बैंक ऋण हो तो यथावत रखने का अनुतोष मांगा। अपीलाण्ट को बार बार सम्मन भेजे गये थे लेकिन वे उपस्थित नहीं आ रहे थे इसलिए इनके सम्मन अखबार में साया करवाये गये थे। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

12. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक नं. 1 एसआरडब्लू जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 38/29 में 0.253 है0 में से 0.064 है0 अर्थात प0 नं0 226/277 (63) किला नं. 6 तादादी 0.064 है0 पर वादी संख्या 1 का अर्सा कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं0 3 के पति व 4 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के दादा मोहन सिंह के नाम चक नम्बर 1 एसआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 180/181 में 0.164 है0 एवं खाता संख्या 134/127 में प0 नं0 224/275 (54) कि0 नं0 12/2 तादादी 0.051 है0 कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज चक नं. 1 एस.आर.डब्ल्यू. जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 178/172 प0 नं0 224/275 (54) किला नं. 13/1 तादादी 0.038 है0 कृषि भूमि पर वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त अर्सा कदीम से चला आ रहा है । इसी अनुसार वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि का रकमराज व आबयाना जमा करवाते चले आ रहे हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण का प्रतिकुल धारण परिपक्व हो चुका है क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जा काश्त को अर्सा कदीम से मौन स्वीकृति प्रदान कर रखी है इसलिए वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पोडेण्ट सं. 1 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार बहक वादीगण को खातोदार काश्तकार की घोषणा करने एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा कर करने एवं यदि बैंक ऋण हो तो यथावत रखने का अनुतोष मांगा, जो स्वीकार किया गया है।

13. अपीलाण्ट का कथन है कि वह प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है अपीलाण्ट के उक्त कथनों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत ग्राम 1एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 से होती है जिसमें खाता संख्या 38/29 में हजारा सिंह वल्द बलवन्तसिंह का .253 हि. दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम 1 एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 संलग्न है, जिसमें खाता संख्या 134/127 में गुरमेल सिंह वल्द मोहन, सुखचैन सिंह वलद गुरमेल सिंह, गौरव सिंह वल्द स्व0 अवतार सिंह व मोहन सिंह वल्द बलवन्त सिंह अभिलिखित खातेदार के रूप में दर्ज हैं। इनसे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स 1 के स्वयं के नाम एवं अपीलाण्ट संख्या 2 ता 7 के पूर्वज मोहन सिह के नाम प्रश्नगत भूमि दर्ज है।

14. अपीलाण्ट की अपील का एक आधार यह भी है कि उनको साधारण एवं रजिस्टर्ड सम्मन नहीं भेजे गये। सम्मन सीधे ही अखबार में साया करवाये गये । उसे सम्मन की तामील नहीं करवाई गई है। **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.07.2013 को पत्रावली दर्ज करते समय प्रतिवादी को जरीये नोटिस तलब किया जाने के आदेश दिये गये थे। उसके बाद की आदेशिका में सम्मन जारी किये जाने अथवा सम्मन के वापस आने के संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। दिनांक 26.08.2013 को वादीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तामील जरिये अखबार करवाने के संबंध में पेश किया प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 02.09.2013 को को आदेशिका में अंकित किया कि "प्रतिवादीगण बावजूद अखबार साया उप0 नहीं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।" और दिनांक 09.09.2013 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रालवी में साधारण सम्मन संलग्न नहीं है और न ही रजिस्टर्ड सम्मन की रसीदें संलग्न है, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में उल्लेख किया गया है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट की तामील अदालती सम्मन एव रजिस्टरर्ड सम्मन दोनों ही नहीं करवाई जाकर सीधे ही अखबार में सम्मन प्रकाशित करवाये गये हैं, जो आदेश 5 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रकाशित करवाये गये हैं। अपीलाण्ट्स अभिलिखत खातेदार काश्तकार हैं, और अभिलिखत खातेदार की भूमि को बिना उसकी विधिवत तामील करवाये बिना कब्जा काश्त के आधार पर रेस्पो0/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो विधि सम्मत नही है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लिेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2013 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है कि उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट एक अभिलिखत खतोदार का काश्तकार है जिनको तामील की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए उनकी खातेदारी भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णियत शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 18:15:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: